



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (161)आकाशि/नि.सं./2015/ 1026

दिनांक:- 03/2/2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा राजस्वधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2020-21 से रनातक स्तर पर निम्नलिखित संकाय/विषय में रसाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित संकाय / विषय
नजर देही सेवा ट्रस्ट, नवकार, श्री कृष्ण नगर, भीलवाड़ा रोड, काकरोती, राजसमंद।	कौटिल्य महाविद्यालय, त्रिमुख रोड, कुनवारिया, राजसमंद।	मोहनलाल चुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित रनातक स्तर पर कला संकाय— भूगोल, हिन्दी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान।

- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाढ़ा गया अग्रिमत्रय उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संघित विश्वविद्यालय से राबद्धता प्राप्त करेगी तथा विभिन्न महाविद्यालय के प्रकरण में बी0री0आई0 रो भानुमत व विश्वविद्यालय से राबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सादृश जमा राशि (एक.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नदीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हसत्वात्री प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार शीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथा संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2020-21 तथा यद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- यदि संस्था की भूमि ईकाग्रिक प्रयोजनार्थ खपान्तरित नहीं है तो संस्था को स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में भू-खपान्तरण आदेश कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा यह स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वरूप ही निरस्त हो जायेगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय की रजिस्टर रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हाई कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर दिया जायेगा।

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सहायक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिय, शासन रायिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, राजसमंद।
- कुल संचिय, मोहनलाल चुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
- सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
- रक्षित पत्रावली।

30 अप्रैल
संयुक्त-निदेशक, नि०सं०
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

